पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ई–नीलामी
(बिक्री सूचना)

क्षेत्रीय कार्यालय : 30 मोहेबेवाला, I व S बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून–248002

31.07.2026 (सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे तक) अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी द्वारा हेतु बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

जहां तक पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्नलिखित ऋण खाते में वित्तीय आस्तियां एवं प्रत्याभूत एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित ब्याज प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 13 (4) के तहत जारी सूचना के अनुपलनार्थ निम्नलिखित संपत्ति / संपत्तियों को अधिग्रहण किया था। इस संबंध में नीचे दिये गए ब्यौरे के अनुसार बैंक को देय राशि एवं ब्याज की दूसली के लिए इस सम्पत्ति / संपत्तियों को "जैसा हैं, जहां है एवं जो है" के आधार पर इसकी बिक्री का अधिकार भी निहित था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इनकी बिक्री वेबसाईट https://baanknet.com पर प्रदान किए गए ई–प्लेटफार्म के जरिये की जायेगी।

चल/अचल सम्पत्ति/यों विवरण

क्रं. सं.	ऋणी/गारन्टर एवं शाखा का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति का स्वामी	बकाया राशि + ब्याज व अन्य खर्चे	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (रकम लाख में) / बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क नं0	सेवा प्रदाता के लिए क्यूआर कोड
1.	**शाखा : गुरुद्वारा रोड सहारनपुर** श्रीमती अंजलि पत्नी श्री हितेश चौहान, निवासी 304, अभिषेक नगर, नवादा रोड, सहारनपुर **(ऋणी)** श्री हिमान्शु चौहान पुत्र श्री हितेश चौहान निवासी 304, अभिषेक नगर, नवादा रोड, सहारनपुर **(गारन्टर)**	साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति जिसका खसरा नं. 516 एम, बेक ग्राम कालीपुरा अभिषेकनगर परगना एवं जिला सहारनपुर पंजीकृत स्वामी श्रीमती अंजलि पत्नी श्री हितेश चौहान विक्रय विलेख नं. 3227, दिनांक 08.07.2009 रजिस्ट्रर्ड बुक नं. 1, जिल्द नं. 1626, पेज नं. 139-166 सब रजिस्ट्रार कार्यालय सहारनपुर पर पंजीकृत है।	**रू0 14,83,025/-** + ब्याज दिनांक 01.06.2026 तक सभी अन्य खर्चे/व्यय वसूली यदि कोई हो	रूपये 34,00,000/- / रूपये 3,40,000/- / रूपये 50,000/-	श्री हर्षदीप सिंह मो0 नं0 9888888866	
2.	**शाखा : गुरुद्वारा रोड सहारनपुर** श्री कुरबान पुत्र श्री सुलेमान (ऋणी), और श्रीमती गुलशीन पत्नी श्री कुरबान (सह.ऋणी)	साम्यिक बंधक व्यवसायिक दुकान जिसका खसरा नं. 327 मिन, क्षेत्रफल माप 20 वर्ग गज स्थित बेक ग्राम हरोड़ा मुस्तखाम, देहरादून रोड नियर कम्यूनिटी हॉस्पीटल हरीडा परगना तहसील और जिला सहारनपुर विक्रय विलेख बुक नं. 1, जिल्द नं. 6896, पेज 293/316, क्रमांक नं. 3320 सब रजिस्ट्रार कार्यालय सहारनपुर, सम्पत्ति स्वामी श्री कुरबान पुत्र श्री सुलेमान।	**रू0 8,08,482/-** + ब्याज दिनांक 01.06.2026 तक सभी अन्य खर्चे/व्यय वसूली यदि कोई हो	रूपये 26,00,000/- / रूपये 2,60,000/- / रूपये 50,000/-	श्री हर्षदीप सिंह मो0 नं0 9888888866	
3.	**शाखा : भगवानपुर हरिद्वार** मैसर्स चाँद ट्रेडर्स द्वारा इसके प्रोपराईटर श्री रियाज निवासी उत्तम कॉलोनी नियर 132 केवी भगवानपुर, जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड (ऋणी), श्री रियाज पुत्र श्री फुरकान निवासी म.नं. 181, ग्राम जलालपुर दादा हालू माजरा जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड, श्रीमती मेहरुनिशां पत्नी श्री फुरकान निवासी म.नं. 181, ग्राम जलालपुर दादा हालू माजरा जिला- हरिद्वार उत्तराखण्ड, (ऋणी) और श्री अरूण कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार निवासी कंलाहाटी संभालकी गुर्जर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश (गारन्टर)	साम्यिक बंधक अचल सम्पत्ति अर्थात आवासीय सम्पत्ति खसरा नं. 70 एम, ग्राम शाहपुर मुस्तखाम (वर्तमान में नगर पंचायत भगवानपुर की सीमा के अंदर) जिसका माप 120.81 वर्गमीटर और 1300 वर्गफीट परगना और तहसील भगवान -पुर उत्तराखंड (Cersai एसेट आईडी 200060301327), पता संख्या 3 से संबंधित श्रीमती मेहरुनिशां पत्नी श्री फुरकान	**रू0 10,35,713/-** + ब्याज दिनांक 01.06.2026 तक सभी अन्य खर्चे/व्यय वसूली यदि कोई हो	रूपये 25,00,000/- / रूपये 2,50,000/- / रूपये 50,000/-	श्री कमलेंद्र सिंह राजोरा मो0 नं0: 8005536462	

निरीक्षण की तिथि व समय: 27.07.2026 (सुबह 10.00 बजे से सांय 3.00 बजे तक) — ईएमडी सबमिशन स्थिति का समय 29.07.2026 सांय 04.00 बजे तक)

नियम व शर्तें : 1. ई–नीलामी "जैसी है जहां है", जो है जैसी है" तथा "जो है वहां है" आयोजित की जा रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी सम्पत्ति पर उपरिवर्णित के सिवाय कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋण भार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच अपनी बोली देने से पहले कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति, बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारीध्प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावोंध्आथकारोध्देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 3. बोली लगाने वालों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में खुद को निरीक्षण और संतुष्ट करें और किसी भी संपत्ति से संबंधित पूछताछ के लिए इच्छुक बोलीदाता उपरोक्त अधिकृत अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नीलामी में रखी गई संपत्ति का निरीक्षण इच्छुक बोलीदाता **दिनांक 27.07.2026 तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से 03.00 बजे** के मध्य शाखा प्रबंधक से पूर्व परामर्श कर सकते है। 4. नीलामी बोली केवल **https://baanknet.com** वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे नीलामी में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। 5. आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी राशि (मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड) के ई–वॉलेट में, **संपर्क नंबर 8291220220/9892219848**, ईमेल सपोर्ट **BAANKNET@psballiance.com/support.ebkray@procure247.com(BAANKNET.COM)** पोर्टल पर सीधे या चालान बनाकर ईएमडी को चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से या 29.07.2026 को शाम 4.00 बजे से पहले जमा करना है। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया के बंद होने पर जो बोलीदाता उच्चतम बोली राशि (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) जमा करता है, उसे आवश्यक सत्यापन के बाद अधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदारों द्वारा सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 7. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है तथा प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी ऑफर स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए ई–नीलामी स्थगित/प्रास्थगित/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। 8. **विशेष निर्देश:** अंतिम क्षण में बोली लगाने वालों के अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए क्योंकि न तो पंजाब एंड सिंध बैंक और न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली की विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी आकस्मिक स्थितियों को दूर करने के लिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति बैंक–अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

यह सूचना उक्त बिक्री के संबंध में कर्जदार तथा गारंटरों (एलआरएस) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत 30 दिन का कानूनी बिक्री नोटिस भी माना जाएगा।

दिनांक– 30.06.2026 — स्थान –देहरादून — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सार्वजनिक सूचना

मैं, लोगरे श्री पत्नी ओम प्रकाश निवासी 12/37, गली नं.1, साकेत ब्लॉक, मंडावली फाजलपुर, दिल्ली–110092, अपने पुत्र प्रदीप कुमार उसकी पत्नी शशि देवी जो कि इसी पते पर रहते हैं, को पूर्णतः त्यागती हूँ। मैं घोषित करती हूँ कि मेरा उनके साथ कोई संबंध, जिम्मेदारी या दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त, उनका मेरी चल–अचल संपत्ति पर कोई अधिकार, हक या दावा नहीं है। वे किसी भी व्यक्तिगत या कानूनी मामले में मेरा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। भविष्य में उनके किसी भी अनैतिक कार्य के लिए मेरे मुवक्किल व उनके परिवार जन जिम्मेदार नहीं होंगे।

(G.L.GOSWAMI)
(ADVOCATE)

PUBLIC NOTICE

Be it known to the general public that my client **Mr. Ramesh Chander Khera,** S/o. Late Shri Ram Lal Khera, R/o. F-81, Main Road, Jagatpuri, Delhi 110051 has severed all his relations with his son **Mr. Bhavit Khera**, S/o. Shri Ramesh Chander Khera and daughter in law **Ms. Heena Khera,** W/o. Mr. Bhavit Khera and their son **Master Lavyansh Khera** for all intents and purposes from the date of publication. My aforesaid client also debar his above named son, daughter in law and grandson from all moveable and immovable properties as they are out of control of my client. As such, my client is not interested to have any relations with his above son, daughter in law and grandson. Whoever deals with them shall be doing so at his/her/ their own risk, costs and consequences and my aforesaid client shall not be responsible in any manner whatsoever.

Sd/-
KRISHAN KUMAR (Advocate)
Ch. No. 157, Block-I,
Delhi High Court
New Delhi-110003

PUBLIC NOTICE

Be it known to all to whom it may concern that My Clients DAYA RAM RAJPUT S/O LATE MR. MATA DEEN RAJPUT AND HIS WIFE MRS. GIRJA DEVI RAJPUT (NOW DECEASED) R/O L-471, L-BLOCK, GALI No. 7, SANGAM VIHAR, SOUTH DELHI, NEW DELHI-110080, as his wife Mrs. Girja Devi Rajput has died (Mrs. Sonam Rajput wife of my client's son Vikas Rajput has already divorced/ separated), hence now my client have restored all rights and claims, including rights of succession of his said son Vikas Rajput and right to inherit all or any of his properties elsewhere and Vikas Rajput shall be also entitled to grant of probation of my client's will & to participate his funeral rites, in the event of his demise, as now Vikas Rajput has amended his mood/ attitude and working under control and supporting my client and his family members and he shall have each and every rights/ claims, as and being real son of my client, as he was having before the disownment, previous all legal, public notices and information, published and submitted in the offices of competent authorities shall be treated withdrawn/ cancelled & also treated null and void, as such in the past my client had broken down all his relations and disclaimed, disowned and debarred him and was having no relation and connections with him and a Public Notice on 12.01.2017, in daily Hindi News Paper JANSATTA, through his advocate was published and information in this regard in the office of competent authorities was also sent/ submitted.

Rajender Singh Bidhuri (Advocate)
Ch. No. 311, Saket Court New Delhi-17

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS

पंजाब नैशनल बैंक

.....भरोसे का प्रतीक
(A GOVERMENT OF INDIA UNDERTAKING)
pnb punjab national bank
....the name you can Bank upon!

एआरएमबी पूर्वी दिल्ली : पॉकेट–ई, मयूर विहार फेज–II, दिल्ली–110091
ई–मेल / cs8075@pnb.bank.in, फोन : 011–22779758, 22785289

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना — वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, जिसे प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पढ़ा जाए। इसके द्वारा आम जनता को, और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को यह सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है— और जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है —उसे नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर, "जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। यह बिक्री, संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) से बैंक/सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि की वसूली के लिए की जाएगी। आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा, संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होंगे।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/जमानती खाता का पता एवं नाम	सरफेसर अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मॉग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार राशि / सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा दिनांक / कब्जे की प्रकृति सांकेतिक /भौतिक/ रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण बंधककर्ता/स्वामी का नाम (सम्पति(यों) के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि) / संविदा वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण / अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1	शाखा कार्यालय : राजगढ़ शाखा, दिल्ली (042410) मेसर्स आर एम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (ऋणी) पता : 205–206, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 14, (LSC) नीलकंठ चौंबर II, सैनी एन्क्लेव, दिल्ली–110092 अन्य पता : 129ए मेहतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश श्री मदन मोहन वर्मा पुत्र श्री नाथी लाल वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता : 303–304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (LSC), सूरजमल विहार, दिल्ली–110092 अन्य पता : 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली–110092 अन्य पता : 31, गुजरात विहार, दिल्ली–110092 श्रीमती प्रभा वर्मा पत्नी श्री मदन मोहन वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता : 303–304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए ब्लॉक (LSC), सूरजमल विहार, दिल्ली–110092 अन्य पता : 138, पहली मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पास, दिल्ली–110092 अन्य पता : 31, गुजरात विहार, दिल्ली–110092	06.06.2024 (रु. 21,28,27,606.72) पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय 21.08.2024 भौतिक	129–ए इंडस्ट्रियल एरिया, मेहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित लीज होल्ड प्रॉपर्टी का EM जिसका क्षेत्रफल 4325 वर्ग मीटर है, और जो मेसर्स आर एम मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, जिसमें सभी प्लांट और मशीनरी शामिल हैं। (इस संपत्ति की बिक्री पर भूमिहीनों और गैर–हिमाचलियों के लिए प्रतिबंध है।)	रू. 185.00 लाख / रू. 18.50 लाख (17.07.2026) / रू. 25000/-	17.07.2026 सुबह 11.00 बजे से अप. 04.00 बजे तक	ज्ञात नहीं श्रीमती राजबाला पूनिया (मो. नं. 9013609199) अधिकृत अधिकारी एआरएमबी पूर्वी दिल्ली

नियम और शर्तें : यह बिक्री, 'सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002' में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी, और साथ ही निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के भी अधीन होगी। 1. ये संपत्तियाँ "जैसी हैं, जहाँ हैं" , "जैसी हैं, वैसी हैं" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेची जा रही हैं। 2. ऊपर दी गई अनुसूची में बताए गए सुरक्षित संपत्तियों के विवरण, अधिकृत अधिकारी की जानकारी के अनुसार यथासंभव सही बताए गए हैं ; परंतु इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए अधिकृत अधिकारी जवाबदेह नहीं होगा। 3. यह बिक्री, अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। 4. बिक्री के नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnb.bank.in देखें। 5. सभी वैधानिक बकाया/संबंधित शुल्क/अन्य बकाया, जिनमें पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्स/किसी भी प्राधिकरण के शुल्क आदि शामिल हैं, खरीदार को ही वहन करने होंगे। अधिकृत अधिकारी या बैंक, संपत्ति (जिसकी ई–नीलामी हुई है) के संबंध में सरकार या किसी अन्य पक्ष के प्रति किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार या अन्य बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, भले ही बैंक को उन बकायाओं की जानकारी न हो। इच्छुक बोली लगाने वाले को सलाह दी जाती है कि वे संपत्ति पर मौजूद भार के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच स्वयं कर लें, जिसमें वैधानिक दायित्व, संपत्ति कर का बकाया, बिजली का बकाया आदि शामिल हैं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक : 30.06.2026 — स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Where service is a way of life

Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

ई–नीलामी (केवल ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री)

आंचलिक कार्यालय बी–38/39, औद्योगिक क्षेत्र, फेज 1, नारायणा, नई दिल्ली 110028

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना दिनांक 30–07–2026 को (पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 1.00 बजे तक)

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6 (2) चल और 8 (6) अचल के साथ पठित वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के तहत जारी की गई है। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार, बंधकदाता(ओं) और गारंटर (रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/भारित है, जिसका सांकेतिक/ भौतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित खाते/खातों में बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहां है", "जैसी है" और "जो कुछ है वहां है" के आधार पर बेची जाएगी। कर्जदार/बंधकदाता/गारंटर/प्रतिभूत आस्तियों का विवरण/बकाया राशि/सुरक्षित मूल्य/ई–नीलामी की तिथि और समय, ईएमडी राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है।

अचल संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर और शाखा का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (रु.) + भावी ब्याज और उस पर अन्य व्यय	सुरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति निरीक्षण तिथि एवं समय	कब्जे की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	ई–नीलामी की तिथि/समय	अधिकृत व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर	स्थान साइट के लिए क्यूआर कोड	संपत्ति की छवि के लिए क्यूआर कोड	सेवा प्रदाता के लिए क्यूआर कोड
1.	**कर्जदार – श्री बाबू अंसारी** **गारंटर : श्री दीपक गुप्ता एवं मनीष गुप्ता** **बी/ओ : चावड़ी बाजार**	फ्लैट नंबर एफ–2 (एलआईजी) प्रथम तल, बैक साइड, छत के अधिकार नहीं, परिमाप 400 वर्ग फीट यानी 37.15 वर्ग मीटर, फ्रीहोल्ड प्लॉट नंबर सी–95, डीएलएफ दिलशाद गार्डन, एक्सटेंशन–।।, गांव ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा लोनी तहसील, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	05–04–2021 रू. 19,90,190.72/– + उस पर आगे ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क इत्यादि	रु. 13,26,000/– / रु. 1,32,600/– / रु. 50,000/–	**20–07–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक**	भौतिक कब्जा	**30–07–2026 पूर्वा. 10.30 बजे तक**	**30–07–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक**	महावीर प्रसाद (चीफ मैनेजर) मोबाइल नंबर 8954484549 और 9657831571			
2.	**मैसर्स आकर्षण डिजाइनर साड़ी, स्वामी श्री प्रकाश रस्तोगी** **गारंटर : सुश्री शिल्पी गुप्ता** **बीओ चावड़ी बाजार**	संपत्ति का विवरणः फ्री होल्ड निर्मित संपत्ति संख्या 112, ब्लॉक–बी, पॉकेट–6 सेक्टर–11 का न्यायिक बंधक, निर्मित संपत्ति संख्या 12, द्वितीय तल, छत के अधिकार के साथ, खसरा नंबर 714/200/1 और 520/219/220 /221, क्षेत्रफल परिमाप 100 वर्ग गज का न्यायिक बंधक, जो ग्राम मौजपुर, गली नंबर 3 ए, श्री राम मार्ग, मौजपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली 110053 की आबादी में स्थित है।	06–04–2021 रू. 26,32,376.35/– + उस पर आगे ब्याज, खर्च और अन्य शुल्क इत्यादि	रु. 30,60,000/– / रु. 3,06,000/– / रु. 50,000/–	**20–07–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक**	भौतिक कब्जा	**30–07–2026 पूर्वा. 10.30 बजे तक**	**30–07–2026 पूर्वा. 11.00 बजे से अप. 01.00 बजे तक**	महावीर प्रसाद (चीफ मैनेजर) मोबाइल नंबर 8954484549 और 9657831571			

नियम और शर्तें:– 1. ऑनलाइन ई–नीलामी नीलामी प्लेटफॉर्म यानी https://baanknet.in के माध्यम से दी गई तारीख और समय पर आयोजित की जाएगी। बैंकनेट साइट के लिए क्यूआर कोड। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके https://baanknet.in के माध्यम से पंजीकरण करना आवश्यक है। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने केवाईसी दस्तावेज और बैंक विवरण अपलोड करने की भी आवश्यकता होती है। पंजीकरण और अपलोड करने की औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली जानी चाहिए। 2. ईएमडी भुगतानः इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल–आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल (https://baanknet.in) पर पंजीकरण करें। ई–केवाईसी की प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से की जानी है और केवाईसी सत्यापन पूरा होने के बाद, इच्छुक बोलीदाता/खरीदार लॉगिन कर सकते हैं और ईएमडी भुगतान कर सकते हैं। ईएमडी भुगतान के लिए इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को खरीदार के रूप में लॉगिन करने के बाद पोर्टल पर दिए गए क्रेता मैनुअल द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। भुगतान गेटवे के माध्यम से, चालान बनाकर और वॉलेट में राशि जमा करके भी किया जा सकता है। भुगतान निर्धारित समय से पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाता ई–नीलामी समाप्त होने से पहले नीलामी पोर्टल https://baanknet.in पर प्री–बिड ईएमडी जमा करेंगे। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की वापसी के लिए, बोलीदाता को https://baanknet.in पर लॉग इन करके और क्रेता मैनुअल में दी गई धनवापसी प्रक्रिया का पालन करके ई–नीलामी सेवा प्रदाता से ऑनलाइन धनवापसी प्राप्त करनी होगी। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। सफल एच 1 बोली के बाद शेष राशि खाता संख्या में जमा की जानी है। 80135040070003 नामः एनईएफटी इनवर्ड एसटीपी पार्किंग खाता आईएफएससी कोडः PSIB008013 3. बोली लगाते समय, बोली लगाने वाले को ऊपर दी गई वेबसाइट में दी गई लिस्ट में से वह प्रॉपर्टी चुननी होगी जिसके लिए ऑफर सबमिट किया गया है और/या बोली लगाने वाला सीधे प्रॉपर्टी आईडी डाल सकता है। सवालों के लिए संपर्क नंबर–8291220220 और ईमेल आईडी support.baanknet@psballiance.com पर संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और बोली लगाने के नियमों के लिए, कृपया https://baanknet.in के होम पेज पर दिया गया Buyer Manual लिंक देखें। 4. बोली लगाने के समय बोली लगाने वाले के ई–वॉलेट में ईएमडी राशि के बराबर या उससे अधिक की पर्याप्त राशि होनी चाहिए। 5. ई–नीलामी के दौरान, बोलीदाताओं को परस्पर बोलीदान में उच्च बोली लगाने की अनुमति होगी। बोलीदाताओं को लगातार उच्च बोली उद्धृत करने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि अंतिम उच्चतम बोली से दस मिनट की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता द्वारा कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी। 6. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे अंतिम बोली उद्धरण और ई–नीलामी के परिचालन भाग पर मैनुअल के अलावा इन बोलियों को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 7. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप देने के बाद, सफल बोलीदाता को हमारे उपरोक्त सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत एसएमएस/ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। 8. सुरक्षित संपत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। 9. सफल नीलामी क्रेता को बोली राशि की 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) राशि (पहले जमा की गई ईएमडी राशि सहित) नीलामी के अंतिम रूप देने/समापन पर तुरंत यानी उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक जमा करनी होगी। बोली/खरीद मूल्य की शेष राशि का भुगतान सफल नीलामी क्रेता/बोलीदाता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के पंद्रहवें दिन या उससे पहले या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा, जिस पर क्रेता और सुरक्षित लेनदारों के बीच लिखित रूप से सहमति हो, विस्तारित अवधि किसी भी मामले में तीन महीने से अधिक नहीं होगी। निर्धारित समय के भीतर ऊपर बताई गई राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि बैंक में जब्त कर ली जाएगी और प्राधिकृत अधिकारी को संपत्ति की नई नीलामी/बिक्री करने की स्वतंत्रता होगी और चूककर्ता बोलीदाता का जब्त की गई राशि और संपत्ति पर कोई दावा नहीं होगा। 10. भुगतान में चूक : ऊपर बताए अनुसार उसी दिन या अगले कार्यदिवस पर बोली राशि (ईएमडी सहित) के 25: और/या निर्धारित समय के भीतर शेष बोली राशि के 75: का भुगतान न करने पर बिना किसी सूचना के बिक्री स्वतः रद्द हो जाएगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और अन्य धनराशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बैंक को जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता संपत्ति या उस राशि के किसी भी हिस्से पर सभी दावों को खो देगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। 11. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और सफल बोलीदाता द्वारा बोली राशि के शेष 75: जमा करने के समय ही टीडीएस जमा किया जाएगा। 12. बिक्री प्रमाण पत्र में बोली में उल्लिखित नामों के अलावा अन्य नामों को शामिल करने/प्रतिस्थापन करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बिक्री प्रमाण पत्र केवल सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। 13. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, यदि वह स्वीकार्य नहीं पाई जाती है या वह बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/बंद या बदल सकता है तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम मान्य होगा। 14. डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के विरुद्ध पारित किसी भी स्थगन/निषेध/प्रतिबंध आदेश के लागू होने तक बिक्री प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान जमा की गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र के निष्पादन तक जमा की गई राशि ब्याज रहित जमा खाते में रखी जाएगी। जमा राशि को आंशिक या पूर्ण रूप से वापस करने/बिक्री को रद्द करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। डीआरटी/डीआरएटी/उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा आगे की कार्यवाही पर स्थगन की स्थिति में, नीलामी स्थगित या रद्द की जा सकती है और इसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्राधिकृत अधिकारी/बैंक के विरुद्ध ऐसे स्थगन या रद्दीकरण के लिए हर्जाना, क्षतिपूर्ति या लागत का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। 15. इच्छुक क्रेता ऊपर उल्लिखित तिथि और समय पर या बैंक द्वारा सूचित किए गए अनु